The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2010

Act 11 of 2010

Keyword(s):<br>University, Teacher, Student, Fees, Higher Education

Amendments appended: 6 of 2011, 5 of 2013, 10 of 2013, 2 of 2014, 14 of 2014, 19 of 2016, 1 of 2018, 6 of 2019, 11 of 2019, 20 of 2019

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

## सरकारी गजट, उत्तर पदेशेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च. 2010
फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 294/79-वि-1-10-1(क)-5-2010
लखनऊ, 5 मार्च. 2010
अधिसूचना
विविध
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 3 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकसटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, संध्षिप्त नाम और 2010 कहा जाएगा।

प्रारम्म
(2) यह 1 अक्टूवर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेंश
अधिनियम संख्या 29
सन 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्प्र्र्ति अधिनियम संख्या 10 सनि 1973 की धारा 4 का संशोधन

धतरा 5 का संश्रेधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा ( 1 -क) में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :-
"(ङ) एक विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहल जाएगा "

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपथारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :-
"(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उर्दू, अरवी औग फारसी में शिक्षा और अनुसंधान तथा उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उर्द्ट, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियंं का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा?"
4-मूल अधिनियम की धारा 7 -क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेर्गा. अर्थात :-
" 7 -ख-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्रधिकृत किये जाने कुछ विश्वविद्यालयों पर उत्तर प्रदेश उंद्दे, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उच्च की अतिरिक्त शिक्षा प्रदान कर रहीं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को शक्कियाँ और सहायता, सम्बद्धता और सुविधा देगा।' कर्तब्य
5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, कमांक 10 के पश्चात निम्नलिखित क्रमांक स्तभ्भवार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

| 11 | उत्तर प्रदेश उद्दु, अरबी फारसी उर्द्र, अरबी और फारसी में शिक्षा और <br> विश्वाविद्यालय, लखनऊ <br> अनुसंधान के सम्बन्ध में समूर्ण उत्तर <br> प्रदेश |
| :--- | :--- |

कटिनाइयाँ दूर करना
6-(1) राज्य सरकार उर्द्र, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सम्बन्व में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई़ आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अर्धान किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधन मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उपथारा (1) में निर्दिष्ट कटिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।
निरसन और अपवाद

7-(1) उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अर्थिनियम संग्या 12
표 2009
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तत्समान उपबन्धों के अर्धीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सरी सारवान समय पर प्रवृत्त थे

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू मातृ भाषा के रूप में बोरी जाती है। उर्दू. भाषा को इस प्रकार विकसित करने की आवाश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में, जिसके साथ अरदी और फारसी भाषायें भी हैं, अपने अध्ययन को उच्चतर स्तर तक जारी रख सके। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अरवी फारंसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2009) का अधिनियमन किया गंया। उक्त अधिनियम का सम्यक् रूप से अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश ग़ज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कतिपय उपवन्ध उसमें विद्यमान नहीं हैं। सन् 2009 के उक्त अधिनियम में विद्यमांन कमियों को टीक करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करके उसके द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों की सूची में उत्तर प्रदेश़ उर्दू, अरवी फारसी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाय और सन् 2009 के उक्त अध़िनियम को निरसित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश़ राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरस्सापित किया जाता है।

# आजा से, <br> प्रताप रारेन्द्र कुशवाहा, <br> संचिव। 

No. 294(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)-5-2010
Dated Lucknow, March 5.2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution. the Governor is plased to order the publication of the following English transtation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2010.

> THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES
> (AMENDMENT) ACT, 2010
> (U.P. ACT NO. 11 OF 2010)
> [As passed by the Uttar Pradesh Legislaturel
> AN
> ACT
further to amend the Unar Pradesh State Universities Act. 1973.
IT is HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities

Short title and (Amendment) Act, 2010.
(2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 2009.
2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973. hereinafter referred to as the principal Act. in sub-section (1-A) after clause (d) the following clause shall be inserted. namely:-
"(e) a University to be known as the Urdu. Uttar Pradesh Arabi Pharsi University at Lucknow."
cominencement

Amendment of section 5

Insertion of new section 7-B

Amendment of the Schedule

Removal of difficuaties
7. (1) The Uttar Pradesh Arabi Pharsi University Act, 2009 is U.P. Act no hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Urdu language is spoken as mother tongue by a section of the society in Uuar Pradesh. The Urdu language is required to be developed in such a manner that any person of the society may continue his study to the higher stage of leaming in Urdu literature including Arabi and Pharasi languages. The Uttar Pradesh Arabi. Pharasi University Act. 2009 (U.P. Act no. 12 of 2009) was enacted for the purpose. After due study of the said Act it has been found that certain provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 are not present therein. With a view to making good of the shortcomings appeared in the said Act of 2009. it has been decided to amend the Ultar Pradesh State Universities Act. 1973 to include the Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharasi University in the list of Universities administered thereby and to repeal the said Act of 2009.

The Utar Pradesh State Universities (Amendment) Bill. 2010 is introduced accordingly.

By order.
P.V.KUSHWAHA.

Scichiv.

## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश <br> उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

## भाग-1, खण्ड (क)

(ड़त्तर प्रदेश अधिनियम)
जखनऊ, शुक्रवार, 04 मार्च, 2011
फालुन 13, 1933 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेशः सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 310/79-वि-1-11-1 (क)-8-2011
लखनऊ, 04 मार्च, 2011

$$
\frac{\text { अधिसूचना }}{\text { विविध़ }}
$$

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोंधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 03 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या . 6 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की. सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्यु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011
(उत्तर प्रदेश अधिनिर्यम संख्या 6 सन् 2011)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
उत्तर प्रटेश राज्य विश्वविक्गल्लग अधिनियम, 1973. का अग्रतर संशोधन करनें के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के दासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यंह : बनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालं (संशोधन) अधिनियम. 2011 कहा साक्षप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित एवं पुनः अधिनियभित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन
धारा 5 का संशोधन

धारा 7 -ख का संशोधन

अनुसूची का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्येक्य अधिनियम, 1973. जिसे आतो गूल अधिनियम कहा गया है, की धांरा 4 में, उपधारा (1-क) $i_{\text {, खे }}$ खण्ड (ङ) में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी" रख. दिये. जायेंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी" रख दिये जायेंगे।

4-मूल अधिनिय़म की धारा 7-ख में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यकर श्री कांशीराम जी" रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में. स्तग्भ-2 में, क्रम संख्या 11 में अंकित प्रविष्टि में शब्द "उत्तर प्रदेश" के रथान पर शब्द "मान्यवर श्री कांशोराम जी" रख दिये जायेंगे।

## उद्देश्य और कारण

देश और समाज के उत्थापन के लिये गान्यवर श्री कांशीराग जी द्वारा किये गये योगदान को दृष्टि में रखते हुये यह विनिश्चय किया गया है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की समृति को बनाये रख़ने के लिये उत्तर. प्रदेश उर्दू अरंबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के रूप में पुनर्नाम दिया जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पुर:स्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, के०को० शर्मा,
> प्रमख सचिव।

## No. 310(2)/LXXIX-V-1-11-1 (ka) 8/2011 <br> Dated Lucknow, March 04, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Govemor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sansodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyan Sankhya 6 of 2011) as passed: by the Uttar Pradesh kegislature and assented to by the Governor on March 03, 2011 :-

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2011
[U.P. Act No. 6 of 2011]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

> AN

ACT
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 19 is.
IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities Short title (Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 4 of the Presidents's Act no. 10 of 1973 as amended and recracted by the U.P. Act no. 29 of 1974

Amendment of the section-5

Amendinent of the section-7-B.

Amendiment of the schedule
2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities $\Lambda c t, 1973$ herein referred to as the principal Act, in sub section (1-A), in clause (e) for the words "Uttar Pradesh" the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" shall be substiluted.
3. In section-5 of the principal Act, in sub-section (7) for the words "Uttar Pradesh"' the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji"' shall be substituted.
4. In section 7-B of the principal Act for the words "Utar Pradesh" the words .'Manyavar Shri Kanshi Ram Ji"' shall be substitued.
5. In the schedule to the principal Act, in the entry appearing at serial no-11, in column-2 for the words "Uttar Pradesh" the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to contributions made by Manayavar Shri Kanshi Ram Ji for the upliftment of the country and the socicty, it has been decided to rename the Uttar Pradesh Urdu Arabi Pharsi University, Lucknow as the Manayavar Shri Kanshi Ram Ji Urdu Arabi Pharsi University, Lucknow to commemorate Manayavar Shri Kanshi Ram Ji.

The Uttar Pradesh State University (Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,<br>K.K. SHARMA,<br>Pranukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1234 राजपत्र-(हिन्दी)-2011-(2520)-597+2 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/ टी/आफसेट)।
पी०एस़०यू०पी०-ए०पी० 190 सा० विधायी-2011-(2521)-850 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट) j

## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## अंसाधारण

विधायी परिशिष्ट.
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013
चैत्र 7. 1935. शक सम्वत्ं

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 332/79-वि-1-13-1(क)6-2012
लखनऊ, 28 मार्च, 2013

"भारत का संविधान" के ‘अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेशः रांज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 26 मार्च, : 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधाऱण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयं (संशोधन) अधिनियम, 2012
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यों 5 सन् 2013)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा षारित हुआ ]
उत्तर प्रदेंश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियन, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम
भारत गणरांज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया ज़ातांहै:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर ध्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम संक्षिप्त नाम और 2012 कहा जाएगा।
(2) यह 16 अगस्त, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29. सन 1974 द्वारा यथा संशोधित एवं पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10. सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन धारा 5 का संशोधन

धारा 7 -ख का संशोधन

अनुसूची का संशोधन

निरसन और अपवाद

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ङ) में शब्द 'मान्यवर श्री कांशीराम जी' के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती" रख दिये जाएंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) में शब्द 'मान्यवर श्री कांशीराम जी" के स्थान प़र शब्द "ख्याजा मुईनुद्दीन चिश्ती" स्ख दिये जाएंगे।

4-मूल अधिनियम की धारा 7-ख में शब्द 'मान्यवर श्री कांशीराम जी'• के स्थान पर .शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती" रख दिये जाएंगे।

5-मूल अधिनियम की अंनुसूंची में, स्तम्भ-2 मे क्रम संख्या 11 में अंकित प्रविष्टिं•में शब्द '"मान्यवर श्री कांशीराम जी" के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती" रख दिये जाएंगे।

$$
\begin{aligned}
& \text { 6-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, } 2012 \text { उत्तर प्रदेश } \\
& \text { एतद्वारारा निरसित किया जाता है। } \\
& \text { अन्यदेश संख्या } 6012
\end{aligned}
$$

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उदेदश्य और कारण
उद्वू अरबी और फारसी भाषाओं में शिक्षणं और अनुसंधाऩ के लिंए लखनऊ; उत्तर प्रदेश में एक अरवी फारसी विश्वविद्यालय की स्थाप्ना की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश अरबी. फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2009) अधिनियमित किया गया था। कालान्तर में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम. 2010 (उत्तर. प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010) अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा विश्वविद्यालय का नाम बंदलकर उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी. फारसी विश्वविद्यालय. लखनऊ कर दिया गया और उसे राज्य विश्वविद्यालयों में समामेलित कर लिया गया। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेशं अधिनियम संख्या 6 सन् 2011) द्वारा उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ किया गया था। यह विनिश्चय किया गया कि उक्त विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती. जो पूरे विश्व के मुस्लिम समाज में तथा भाऱत के हिंन्दू और सिख समुदाय में भी सूफी सन्त के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा जो फाऱसी भाषा के विद्वान एवं शायर रहे हैं और जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है, के नाम पर कर दिया़ जाय।

चूँकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित् करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक़ 16 अगस्त, 2012 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।
₹ विधेयकं पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, एस० के० पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

No. 332(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)6-2012
Dated Lucknow, March 28, 2013
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhann) Adhiniyam, 2012 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Govemor on March 26, 2013.

THEUTTAR-PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2012
(U.P. ACT No. 5 of 2013)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN.
ACT .
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-
i. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh STate Universities
(Amendment) Act, 2012.
(2) It shall be deemed to have come into force on August 16, 2012.
2. In section 4 of the Utar Pradesh State Universities Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A), in clause (e) for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji"; the words "Khwaja Moinuddin Chishti", shall be substituted.

Shor title and commencement

Amendment of section 4 of the President's Act no. 10 of 1.973 as amended and reenacted by U.P. Act no. 29 of 1974
Amendment of section 5

Amendment of section 7-B Amendment of the Schedule

Repeal and Saving
U.P. Ordinance
10.6 of 2012.
6. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Oridinance, 2012 is hereby repealed.

3: In section S of the principal Act, in sub-section (7) for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be substituted.
4.. In section 7-B of the principal Act for the words 'Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be substituted.
5. In the Schedule to the principal Act, in the entry appearing at serial no.-11, in Column no. 2 for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be subsituted.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Arabi, Pharsi University Act, 2009 (U.P. Act no. 12 of 2009) was enacted to provide for the establishment of an Arabi Pharsi University at Lucknow in Uttar Pradesh for teaching and research in Urdu, Arabi and Pharsi Languages. Later on the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2010.(U. P. Act no. 11 of 2010) was enacted by which the name of the University was changed as the Uttar Pradesh Urdu. Arabi. Pharsi University Lucknow and amalgamated in the State Universities.

Thereafter the name of the said University was changed as Manyavar Shri Kanshi Ram Ji Urdu, Arabi, Pharsi University Lucknow by the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2011 (U. P. Act no. 6 of 2011). It was decided to change the name of the said University in the name of Khwaja Moinuddin Chishti who is famous, as Suphi Sant in the Muslim Society all over the world and also in Hindu and Sikh communities of India and who has been a scholar and poet of Pharsi language and has made precious contribution for the Hindu - Muslim unity.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2012 (U. P. Ordinance no. 6 of 2012) was promulgated by the Govemor on August 16, 2012.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. K. PANDEY,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 812 राज़पत्र (हि०)-2013-(3603)-599 (कम्प्यूटर / आफसट)।
पी०एस०्यू०पी०-ए०पी० 108 सा० विधायी-2013-(3604)-500 (कम्प्यूटर./आफसेट)।

# सरकारी गजनट, उत्तर प्रदेशा 

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

## भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरं प्रदेश अंधिनियम)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013
चैत्र 7. 1935 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 374/79-वि-1-13-1(क)-7-2013
लखनऊ, 28 मार्च, 2013
अधिसूचना
विविध
"भारतं का संंविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर पदेशेशं ग़ाज्य विश्वविद्यातय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 226 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश़ अधिनियम संख्या 10 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूँचनार्य इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया ज़ाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयं (संशोधन) अधिनियम, 2013
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2013)
(जैसा उत्तर प्रेदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम
भारत़ गणराज्य के चौसठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013. कहा संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 , सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुन अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 . सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

धारा 50 का संशोधन

धारा 52 का संशोधन

अनुसूची का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा ग़या है, की धारा 4 में, उपधारा ( $1-$ क) में, खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
"(च) एक विश्वविद्यालय जिसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालयं, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जायेगा;
(छ) एक विश्वविद्यालय जिसे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के रूप में जाना जायेगा:"
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ख) के पश्चत् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(1-ग) जब तक कि इस धारा के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राजँ्य सरकार द्वारां अधिसूचंना द्वारा प्रावधानित किये जायें।
(1-घ) जब तक कि इस धारा के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, छत्र्रपति शाहू. जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन हस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"

4-मूल अधिनियमं की धारा 52 में. उपधाऱ (2-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(2-ख) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे. ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।
(2-ग) जब. तक कि उपधारा (2) के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय. इलाहाबादं के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लायू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, -
(क) कम संख्या 3,4 और 6 पर अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
"3. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
(1) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, अमेठी. औरेया, इटावा, फर्रूखाबाद, इलाहाबाद की स्थापंना होने फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर तक
(2) इलाहाबाद राज्य वेश्वविद्यालय, इलाहाबादं की स्थापना हो जाने पर

रायबरेली तथा उन्नाव जिले।

औरैया. अमेठी, इटावा. फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीभपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले।

4- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय. गोरखपुर
(1) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक
(2) सिद्धार्थ. विश्वविद्यालय की स्थापना होनें पर
6. डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय: फैजाबाद
(1). इलाहाबाद राज्य अम्बेडंकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की फैजाबाद, गोण्डा. प्रतापगढ़, श्रावस्ती तंथा सुल्तानपुर स्थापना होने तक
(2) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु. सिद्धार्थनगर तथा इलाहाबाद राज्य, विश्ववविद्यालय. इलाहाबाद की स्थापना होने पर

बस्ती, देवरिया. गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले।
देवरियां. कुश़ीनगर तथा गोरख़पुर जिले।
(ख) 'कम संख्या 11 के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी. अर्थात् :-
" 12 इलाहाबाद" राज्य
विश्वविद्यालय. इलाहाबाद
13 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कंपिलवस्तु. सिद्धार्थनगर

इलाहाबादं, फतेहपुर, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़ जिले।

बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज. श्रावस्ती. सिद्धाथ नगर तथा संत कबीर नगर जिले।"

6-(1) राज्य सरकार, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय. इलाहाब़ाद की स्थापना से सम्बंधितः किसी कठिनाई को दूर करने के

कठिनाइयों को दूर किया जाना प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावंधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुयें, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समी.चीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु. यह कि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अंधिनियम; 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया ज़ायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आंदेश राज़्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आंदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको .दूर करना अपेक्षित नहीं था।
$\qquad$ .

## उददेश्य और कारण

जनपद इलाहाबाद में विद्यमान राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रींय विश्ववविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है।. इस प्रकार जनपद इलाहाबाद में सम्प्रति कोई राज्य विश्वविद्यालय विद्यमान नहीं है जिसके कारण समीपवर्ती क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर में. जो भगवान गौतम बुद्ध के पिता की जन्मस्थली है, कोई विश्वविद्यालय विद्यमान नहीं है और समीपवर्ती क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कंरना पड़ रहा है। इलाहाबाद और सिद्धार्थनगर के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके अपने बच्चों को ंखिना किसी कठिनाई के उच्च शिक्षा प्रदान करने के भार्ग को प्रशस्त करने के उददेश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. 1973 को संशोधित करके उक्त प्रत्येक जनपद में कमशः इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय. कपिलवस्तु. सिद्धार्थनगर के नाम से राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वंविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जातां है।
आज्ञा से. एस 0 के प पाण्डेय. प्रमुख सचिव।

## No. 374(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)7-2013

Dated Lucknow, March 28, 2013
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Utiar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2013
(U.P. Act No. 10 OF 2013)
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)
AN

- ACT
further to amend to Uttar Pradesh State Universities Act, 1973
IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may by called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2013.
2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973. hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A), after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely :-
"(f) a University to be known as Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar ;
(g) a University to be known as Allahabad State University, Allahabad;"
3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-B), the following sub-sections shall be inserted, namely :-
"(1-C) Until the First Statutes of the Siddharth University are made under this section, the Statutes of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.
(1-D) Until the First Stamtes of the Allahabad State University, Allahabad are made under this section, the Statutes of the Chhatrapti Shahu Ji Maharaj University, Kanpur as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-A) the following sub-sections shall be inserted namely :-
"(2-B) Until the First Ordinances of the Siddharth University are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Govermment may, by notification provide."
"(2-C) Until the First Ordinances of the Allahabad State University, Allahabad are made under sub-section (2), the Ordinances of the Chhatrapti Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide."
5. In the Schedule to the principal Act,
(a) for the entries appearing at Serial no. 3, 4 and 6 the following entries shall be substituted, namely :-
6. The University of Chhatrapti Shahu Ji Maharaj University, Kanpur -
(i) Until the establishment of the Allahabad State University, Allahabad
(ii) Upon the establishment of the Allahabad - State University, Allahabad
7. The Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur-
(i) Until the establisthment of the Siddharth University
(i1) Upon the establishment of the Siddharth University

Districts of Allahabad, Amethi, Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Fatchpur, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Kaushambhi, Lakhimpur- • Kheiri, Sitapur, Rae Bareli and Unnao.

Districts of Auraiya, Amethi, Etawah,. Farrukhabad, Hardoi, Kannauj, Kanpur "Dehat, Kanpur Nagar, Lakhimpur-Kheiri, Sitapur, Rae Bareli and Unnao.

Districts' of Basti, Deoria, Gorakhpur, Kushi Nagar, Maharajganj, Santkabir Nagar, and Siddharth Nagar.

Districts of Deoria, Kushi Nagar and Gorakhpur."' . .
mendment of schedule
6. Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad
(i) Until the establishment of Allahabad State University, Allahabad
(ii) Upon the establishment of the Siddharth. University Kapilvastu Siddharth Nagar \& Allahabad State University, Allahabad
(b) After the serial no. 11, the namely :-
"12. The Allahabad State University, Allahabad
13. The Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar

Districts of Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh, Shrawasti and Sultanpur Districts of Ambedkar Nagar, Bahraich, Bara Banki, Faizabad, Gonda and Sultanpur following serials shall be inserted,

Districts of Allahabad, Fatehpur, Kaushambi, and Pratapgarh
Districts of Balrampur, Basti, Maharajganj, Shrawasti, Siddharth Nagar and Sant K:abir Nagari
6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of the Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar and Allahabad State University, Allahabad by order published in the Gazette, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Removal of diffculties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2013
(2) Every order made under sub-section (1) shall-be laid before both the Houses of the State Legislature.
(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State University existed in District Allahabad has been given the status of the Central University as such there exists no State University at present in the District of Allahabad due to which the students of adjoining area are facing difficulties in getting higher education. Similarly, there is no University in district Siddharth Nagar which is birth place of the father of Lord Gautam Buddha, and the students of adjoining area are also facing difficulties in getting higher education. With a view to facilitating the people of adjoining areas of Allahabad and Siddharth Nagar to provide higher education to their children without any difficulty, it has been decided to establish the State Universities one each in the said districts by the name of the Allahabad State University, Allahabad and the Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar respectively by amending the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. K. PANDEY,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 818 राजपत्र-(हिन्दी)-2013-(3615)--599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 114 सा० विधायी-2013-(3616)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 114 सा० विधायी-2013-(3616)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।


## सरकारी गजट, उत्तर पदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2014
फाल्गुन 9, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार<br>विधायी अनुभाग-1<br>संख्या 314/79-वि-1-14-1(क)-1-2014<br>लखनऊु, 28 फरवरी, 2014<br>अधिसूचना<br>विंविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अंधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 26 फरंवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तर प्रद्देश अधिनियम संख्या 2 सन् 2014)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम: 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के पैंसटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 संक्षिप्त नाम और कहा जाएगा।
(2) यह 24 अक्टूबर, 2013 को प्रदृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम रांख्या 29 सन 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुन्: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सख्या 10 सन् 1973 में सामान्य संशोधन
धारा 4 का संशोधन
धारा 5 का संशोधन
धारा 14 का

- संशोधन

संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द 'प्राध्यापक' और 'उपाचार्य', जहॉ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द 'सहायक आचार्य' और शब्द 'सहयुक्त आचार्य' क्रमशः रख दिए जाएंगें।

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में. उपधारा (1) का लोप कर दिया जायेगा।
4-मूल अधिनियम की धारा 5 ग्रपधारा (4) का लोप कर दिया जायेगा।
5-मूल अधिनियम की धारा 14 में;-
(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थत्:-
"(2) प्रति-कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य ही होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी।"
(ख) उपधारा (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखं दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(4) प्रति-कुलपति ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सह विस्तारी होगी तथापि यह कुलपति का परमाधिकार होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे।
(5) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।"

[^0]6-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उंपधारा (1) में, खण्ड (घ) में, शब्द "कुमाऊँ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय"' रख दिये जायेंगें। 7-मूल अधिनियम की धारा 31 में,-
(क) उपधारा (4) में,
(एक) खण्ड (क) में,-
क-उपखण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-
" (i-क) संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ कहीं लागू हो।"
ख-उपखण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-
" (iii-क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित क्रेंणी का न हो ${ }^{\prime \prime}$
(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
"(ग) किसी सम्बद्ध या सैहयुक्त महाविद्यालय, जिसमें रववितपोषित निजी महविद्यालय सम्मिलित है (राज्य संरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालया से भिन्न), के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन सगिति में निम्नलिखित होंगे:-
(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाभ-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा:
(ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रबन्ध स़निति के दो सदस्य, जिनमें से एक शैक्षिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा;
(iii) कुलपति का एक नाम निर्देश्चिती, जो उत्च्च शिक्षा का एक दिशेष्ड होगा :

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा रथापित एवं प्रश्रसित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कुलपति अणुमोदित तीन विशेषज़ों के पैनल में से नाम निर्द्विष्ट कियो ज़ायेंगे;
(iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद, जो आचार्य के रैंक के नीचे का न हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित छ: विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबंध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :
परन्तु यह कि भारत का संविघान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यैक द्वारा स्थापित एवं प्रश़ासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित छ: विशेषज़ों के पैनल में से नाग विर्विध्र किया जायेगा:
(v) अनुसूचित जातिदों या अनुसूचित जनजजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि इन वर्गों का कोई भी अभ्यर्थी आवेदक हो तथा यदि चुयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो:
परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद $30^{\circ}$ के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।"
-(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (ii) और (iii) के स्थांन पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-
"(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य;
(iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष यदि लागू हो तो;
(iv) कुल़पति के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।
(v) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय विशेषझ़ की सूची से कुलपति द्वारा पाँच रादस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद द्दारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनल में. से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।"
(चार) खण्ड (घ) के पश्चातृ, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
"(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति उसी प्रकार से होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य और सहायक आचर्य के लिए होगी. सिवाय यह कि यथास्थिति, पुस्तकालय में संबंधित विशेषज्ञ या कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति से सहयुक्त होगा !"
(ख) उपधारा ( 7 -क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी ज़ायेगी, अर्थात्:-
"( $\bar{\jmath}$-ख) घय व समिति की सभी चयन प्रक्रियायें चयन समिति की बैठक के दिन ही पूर्ण कर ली जायेंगी, जिसमें चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंक देने के प्रपत्र और चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची संहित श्रेष्ठता के आधार पर की गयी संस्तुतियाँ / श्रेष्ठता के आधार पर नामों के पैनल के साथ कार्यवृत्त अभिलिखित किया गया हो।"
(ग) उपधारा (10) में शब्द "उत्तर प्रदेग़" के स्थान पर शब्द "भारत" रख दिया जायेगा।

धारा 35 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधार! रख दी जायेगी, अर्थात् :-
"(2) ऐसे महाविद्यालय की प्रबन्ध रमिति के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व. कुलपति को रिपोर्ट किया जायेगा और वह तब तक प्रभावी न.होगा, जब तक कुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय :

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या पंक्ति में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन उसकी उसे सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक उस निर्णय को प्रभावी नहीं किया जायेगा।"

9-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-
(क) क्रम-संख्या 2 में शब्द "गाजियाबाद" के स्थान पर शब्द "गाजियाबाद, हापुड़" एवं शब्द "तथा सहारनपुर" के स्थान पर शब्द 'सहारनपुर एवं शामली" रख दिये. जायेंगे;
(ख) क्रम-संख्या 7 में, शब्द "तथा शाहिजहांपुर" के रथान पर शब्द "सम्भल एवं शाहजहांपुर" रख दिये जायेंगे।

10-(1) उत्तऱ प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 उत्तर प्रदेश एतद्ट्टारा निरसित किया जांता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही

उत्तर प्रदेश अध्यदेशे संख्या 11 सऩ 2013 इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यां 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) में संशोधन करने हेतु राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोंधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2013) का प्रख्यापना मुख्यतया निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए किया गया था,-
(क) "प्राध्यापक" और "उपाचार्य" का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः "सहायक आचार्य" और "सहयुक्त आचार्य" किया जाय;
(ख) यह प्रावधान किया जाय कि प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा की जायेगी और वह ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सहविस्तारी होगी परन्तु कुलपति का यह परमाधिकार

होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद् को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे। प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय;
(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों और प्राचार्य की नियुक्ति के लिये चयन समिति के गठन में परिवर्तन किया जाय;
(घ) पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी हेतु आचार्य श्रेणी के समान चयन समिति का गठन किया जाय ;
(ङ) नैनीताल में कुमायूँ विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित प्रावधानों को विलोपित किया जाय;
(च) आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों की सम्बद्धता स्वीकृत कराने का विशेषाधिकार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के बजाय सभी राज्य विश्वविद्यालयों में उनके क्षेत्राधिकार के अनुरूप निहित किया जाय;
(छ) विभागीय कार्यवाहियों में समयंबद्धता सुनिश्चित की जाय;
(ज) सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिंकार में नवसृजित जिलों को सम्मिलित करने के लिये अनुसूची को संशोधित किया जा़।
चूँकि उक्त अध्यादेश के कतिपय उपबन्ध राज्य सरकार के विचारण के अधीन थे, अतः उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मण्डल के दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 से प्रारम्भ होने वाले पिछले सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। चूँकि उक्त अध्यादेश 15 जनवरी, 2014 के बाद समाप्त हो रहा था अतः यह विनिश्चिय किया गया कि अल्पसंख्यक द्वारा शासित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कतिपय संशोधनों के साथ उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिये एक अंन्य अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यांदेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश संख्या 1 सन् 2014 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुंरःस्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, एस० बी० सिंह, प्रमुख सचिव।

No. 314(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka)-1-2014
Dated Lucknow, February 28, 2014
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2014 :

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2014
(U.P. ACT No. 2 Of 2014).
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

## AN

ACT
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2014.

Short title and commencement
(2) It shall be deemed to have come into force on October 24, 2013.

General
Amendment in President's Act no. 10 of 1973 as amended and reenacted by U.P. Act no. 29 of 1974

Amendment of section 4
Amendment of section 5
Amendment of section 14

Amendment of section 20

Amendinent of section 31
2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act, for the word 'Lecturer' and the word 'Reader' wherever occurring, the words 'Assistant Professor' and the words 'Associate Professor' shall respectively be substituted.
3. In section 4 of the principal Act, sub-section (1) shall be omitted.
4. In section 5 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
5. In section 14 of the princimal Act,-
(a) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :-
"(2) The Pro-Vice-Chancellor shall be a whole-time Professor of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor."
(b) for sub-sections (4) and (5) the following sub-sections shall be substituted, namely :-
"(4) The Pro- Vice-Chancellor shall hold office for a period which shall be co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to recommend a new Pro-Vice-Chancellor to the Executive Council, during his tenure.
(5) The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined by general or special orders by the State Government."
6. In section 20 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (d) for the words "Universities of Kumaun and Bundelkhand" the words "University of Bundelkhand" shall be substituted.
7. In section 31 of the principal Act,-
(a) in sub-section (4),
(i) in clause (a),-

A-after sub-clause (i) the following sub-clause shall be inserted, namely:-
"(i-a) the Dean of the faculty, wherever applicable;
B-after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-
"(iii-a) academicians one each belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to the respective category":
(ii) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely :-
"(c) The Selection Committee for the appointment of the Principal: of an affiliated or associated college including a self-fmancing private college (other than a college maintained exclusively, by the State Government) shall consist of,--
(i) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;
(ii) two members of the Management to be nominated by the Head of the Management of whom one shall be an expert in academic administration;
(iii) one nominee of the Vice-Chancellor who shall be a Higher Education expert:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the expert shall be nominated by the Management from out of a panel of three experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor;
(iv) three experts consisting of the Principal of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor to be nominated by the Management out of a panel of six experts approved by the Executive Council:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management out of a panel of six experts suggested by the Management and approved by the Executive Council;
(v) acaditux lans une each belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes anci Other Backward Classes of Citizens to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of candidates representing these categories is the applicant, and any of the above members of the selection committee does not belong to respective category:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India this sub-clause shall not apply."
(iii) in clause (d) for sub-clauses (ii) and (iii) the following sub-clauses shall be substituted, namely:-
"(ii) the Principal of the college;
(iii) the Head of the Department of the concemed subject, if applicable;
(iv) two nominees of the Vice-Chancellor of whom one should be a subject expert:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India this sub-clause shall not apply.
(v) two subject experts not related to the college to be nominated by the Head of the Management out of a panel of five names recommended by the Vice-Chancellor from the list of the subject experts approved by the Executive Council:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Executive Council."
(iv) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :-
"(e) the Selection Committee for the post of a Librarian, a Deputy Librarian and an Assistant Librarian shall be the same as that of a Professor, Associate Professor and Assistant Professor respectively, except that the concerned expert in Library, or a practicing Librarian, as the case may be, shall be associated with the Selection Committee as one of the subject experts."
(b) after sub-section (7-A) the following sub-section shall be inserted, namely:-
"(7-B) All the selection procedures of the Selection Committee shall be completed on the day of the Selection Committee meeting itself, wherein, minutes are recorded alongwith the scoring proforma and reconunendations made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates/Panel of names in order of merit, duly signed by all members of the Selection Committee."
(c) in sub-section (10) for the words "Uttar Pradesh," the word "India" shall be substituted.
8. In section 35 of the. principal Act for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :-

Amendment of section 35

Amendment of the Schedule

## Repeal and

 Saving"(2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remove a teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner shall before it is communicated to him, be reported to the Vice-Chancellor and shall not take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the decision of the Management dismissing removing or reducing in rank or punishing in any other manner any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor, but, shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to."
9. In the Schedule to the principal Act, -
(a) in serial no. 2 for the word "Ghaziabad" the words, "Ghaziabad, Hapur" and for the words "and Saharanpur" the words, "Saharanpur and Shamli" shall be substituted.
(b) in serial no. 7 for the words "and Shahjahanpur," the words "Sambhal and Shahjahanpur" shall be substituted.
10. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) U.P. Ordinance Ordinance, 2014 is hereby repealed
(2) Notwithstanding such repeal. anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendments) Ordinance, 2013 shall be deemed to have been done or taken under the co-responding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. no. 1 of 2014

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 11 of 2013) was promulgated by the Governor on October 24, 2013 to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and reenacted by U.P. Act no. 29 of 1974 mainly to provide for,-
(a) changing the name of "Lecturer" and "Reader" by the "Assistant Professor" and "Associate Professor" respectively;
(b) making provisions that the Pro-Vice-Chancellor shall be a whole time Professor of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the ViceChancellor and shall hold office for a period which shall be co-terminus with that of the ViceChancellor provided it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to recommend a new Pro-Vice-Chancellor to the Executive Council during the tenure thereof. The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined from time to time by the State Government;
(c) making change in the constitution of the selection committee for the appointment of teachers and the principal of an affiliated or associated college;
(d) constitution of the selection committee for the librarian category similar to that of a Professor;
(e) omission of the provisions relating to the establishment of the Kumaun University at Nainital;
(f) empowering all the State Universities in their respective jurisdiction to grant privilege of affiliation to the Ayurvedic/Unani degree colleges instead of the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur;
(g) ensuring time bound action in the departmental proceedings;
(h) amending the Schedule to include the newly created districts in the jurisdiction of the respective State Universities.
As certain amendments in the provisions of the said Ordinance were under consideration of the State Government the replacing Bill of the said Ordinance could not be introduced in the last session of the State Legislature commencing on December 05, 2013. Since the said Ordinance was going to be lapsed after January 15, 2014, it was decided to promulgate an other Ordinance to replace the provisions of the said Ordinance with certain amendments relating to the colleges administered by a minority.

Since the State Legislature' was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 1 of 2014) was promulgated by the Govemor on January 15, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 1 of 2014.

> By order,
> S. B. SINGH,
> Pramukh Sachiv.

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

| विधायी परिशिष्ट |
| :--- |
| भाग-1, खण्ड (क) |
| (उत्तर प्रदेश अधिनियम) |
| सखन, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014 <br> आषाढ़ 27, 1936 शक सम्वत् |


'भारंत का संविधान". के अनुच्छेदे 200 क्रे अंधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्यं विश्वविद्यालय (द्वितीय संश़ोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक :17 जुलाई, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेशं अधिनियम संख्या 14: सन्. 2014 के रूपप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया ज़ांता है:-

उत्तरः प्रदेश रांफ़्यं विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014
(तन्तंर प्रदेश आधोनेयम संख्या 14 सन् 2014)
(जस्सा उत्तर प्रदश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
उतत्तरं-प्रदेश़ राज्य विश्वविद्यालय़ अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणेराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रांज्य विश्वंविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्नर प्रदेश अधिनियम रारब्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनिय्यमित साष्ट्रपति अधिनेयम संख्या 10. सन् 1973 की धारा 18--क का संशोधन धारा 37 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. 1973, जिसे आगे मूल अंधिनियमं कहा गया है. की धारा 18 -क में. उपधारा (1) में शब्द "जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा" के स्थान पर शब्द "जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा व. उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री या उनका नामनिर्देशिती होगा जो कैबिनेट मंत्री से निम्न स्तर का न होगा" रख दिये जायेंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 37 में,-
(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उंपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
"(2) कार्यपरिषद सम्बद्धता की ऐसी शत्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेंगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा ' $(8)$ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कंर सकेगी।"
(ख) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखिंत उपधारा रख दो जायेगी, अथात् :-
"(8) कार्यपरिषद़ द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालयय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद के किसी निदेशः का अनुपालन करने गें अथवा सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करते में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेंने के बाद पंरिनिंयमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा संकेगा या कम 'किया जा सकेगा;'
(ग) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपंधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
"(11) कोई संस्था, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो. राज्य सरकार के संमक्ष नामंजूरी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकती है, जो अपील को मंजूर या नामंजूर कर सकती है। राज्य सरकार को ऐसे मामलों में जहाँ महाविद्यालय द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो, महाविद्यालय के आवेदन के संम्बन्ध में पुनर्विलोकन की भी शक्ति:होगी।" 4-मूल अधिनियम की धारा 38 में,--
(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उंपधारा रख दी जायेगी. अर्थात् :-
"(4) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यतां की जर्तें ऐेगी होंगी जैसा कार्यपरिषद् द्वारा विहित अथवा अधिरोपित की ज़ांय;
(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखः दी जायेगी. अर्थातृ:-
"(7) यदि कार्यपरिषद का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद़ द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा दियें गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् द्वारा ऐसेे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ली जा सकेगी।"

## उद्देश्य और कारण

राज्य विश्वविद्यालयों के कृत्यों में विलम्ब को दूर करने एवं उन्हें और अंधिक स्वायत्तता प्रदान करने और समन्वय परिषद् में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिंश्चय क्यिया. गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम: संख्या 29 सन् 1974 द्वाऱा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य

विश्वविद्यालय अध्रिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) को संशोधित करके मुख्यतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जाय,-
(क) समन्वय परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में मुखंख्यमंत्री या उनके नामनिर्देशिती, जो कैबिनेट मंत्री से निम्न स्तर का न होगा, को सम्मिलित किया जाना;
(ख) कार्थपरिषद् द्वारा किसी महाविद्याल़य को सम्बंद्धता प्रदान किये जाने हेतु राज्य सऱकार की पूर्व स्वीकृति से सम्बच्धित उपबन्ध का निकाला जाना;
(ग) कार्यप़रिष़द द्वांरा किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के विशेषांधिकार को वापस लेने या उसमें कमी करने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति सुम्बन्धित उपबन्ध का निकाला जाना;
(घ) किसी संस्था. जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो. को राज्य सरकांः के समक्ष अपील करने का अवस्सर प्रदान करना और राज्य सरकाऱ को, ऐसे मानलों में जहाँ महाविद्यालयों द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो, महाविद्यालय के आवेदन के सम्बन्ध में पुुनर्विलोकन की शक्ति प्रदानं करना;
(ङ) किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधियों. के लिये शिक्षण प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करने के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने से सम्बन्धित उपबन्ध का निक़ाला जाना;
(च) कार्यपरिषद द्वारा किसी सहयुक्त महाववेद्यालय की मान्यता को वापस लिये जाने हेत् राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने से सम्बन्धित उपबन्ध का निकाला जाना।

तदनुसार उंत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जतालता है।

आज्ञा से, एस०बी० सिंह, प्रमुख सचिव।

No. 975(2)/LXXIX-V-1-14-1(ka)19-2014<br>Dated Lucknow, July 18, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya) Dwitiya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 2014:-

## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) <br> ACT, 2014

(U.P. Act no. 14 of 2014)
(As passed by.the Uttar Pradesh Legislature)
AN
ACT
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
It is hereby cnacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Short tute Amendment) Act. 2014.
2. In section 18-A of the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 Amendment of herematter referred to as the principal Act in sub-section (1) for the words "the section 18-A of Chancellor as its Chairman," the words "the Chancelior as its Chairman, the Chief Presidents Act no Minister or his nominee not below the rank of Cabinet Minister as its Vice-Chairman ${ }^{\prime \prime}$ amended and shali be substitured.

Amendment of section 38
3. In section 37 of the principal Act,-
(a) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted. namely :-
"(2) The Executive Council may, admit any college which fulfils such conditions of affiliation as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub;section : $\$$; withdraw or curtail any such privilege."
(b) for sub-section (8) the following sub-seciton shall be substituted. namely:-
"(8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes." ;
(c) after sub-section (10) the following sub-section shall be inserted, namely :-
(11) Any institution whose application is rejected by the University may prefer an appeal to the State Government within 30 days from the receipt of the order of rejection, which may either allow the appeal or reject it. The State Government shall also have power to review the matter of application of a college in cases where the complaints received by it with respect to the irregularities committed by the college."
4. In section 38 of the principal Act,-
(a) for sub-section (4) the following sub-section shall be substituted. namely :-
-(4) The conditions of recognition of an associated college shall $b$, such as may be prescribed or imposed by the Executive Council.";
(b) for sub-section (7) the folllowing sub-section shall be substituted, namely :-
"(7) The recognition of an associated college may be withdrawn by the Executive Council if it is satisfied after considering any explanation' furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council."

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to avoiding delay in the functioning of the State Universities and giving more autonomy thereto and ensuring the representation of the State Government in Co-ordination Council it has been decided to amend the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974 mainly to provide for,-
(a) inclusion of the Chief Minister or his nominee not below the rank of Cabinet Minister as the Vice-Chairman of the Co-ordination Council:
(b) omission of the provisions regarding the previous sanction of the State Government for grant of affiliation to a college by the Executive Council;
(c) omission of the provision regarding the previous sanction of the State Government for withdrawl or curtailing the previleges of affiliation to a college by the Executive Council;
(d) giving of opportunity to a institution whose application is rejected by the University to prefer an appeal to the State Goverment and empowering the State Government to review the matter of application of a college in cases where the complaints received bv it with resnect to the irregularities committed by the college;
(e) omission of the provision regarang obtaining of previous approval of the State Government to authorise an associated college to impart instructions for post-graduate degrees;
(f) omission of the provision regarding obtaining of previous approval of the State Governiment for withdrawl of recognition of an associated college by the Executive Council.
The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Bill. 2014 is introduced accordingly.

By order,
S.B. SINGH.

Pramukh Sachiv.

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश 

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016
भाद्रपद 25,1938 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश श
विधायी अनुभाग

संख्या | $1408 / 79-व ि-1-16-1$ |
| :--- |
| लखनऊ, 16 सितम्बर |
| $\frac{\text { अधिसूचना }}{\text { विविध }}$ |.

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय तोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम पा 19 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2016)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के

अधिनियम
भारत गणराज्य के सड़सटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1 -यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन धारा 50 का संशोधन

धारा 52 का संशोधन

अनुसूची का संशोधन

कटिनाइयों को दूर किया जाना

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्द बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
"(ज) एक विश्वविद्यालय जिसे जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को रूप में जाना जायेगा;"
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-
"(1-ङ) जब तक कि इस धारा के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"
4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(2-घ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीट विश्वविद्यालय, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"
5-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-
(क) क्रम-संख्या-10 पर अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
$10-म ह ा त ् म ा ~ ग ा ं ध ी ~ क ा श ी ~ व ि द ् य ा प ी ठ, ~ व ा र ा ण स ी ~$
(1) जननायक चन्द्रशेखर बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास विश्वविद्यालय, बलिया की नगर, सोनभद्र और वाराणसी जिले। स्थापना होने तक
(2) जननायक चन्द्रशेखर चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, विश्वविद्यालय, बलिया की सोनभद्र और वाराणसी जिले। स्थापना हो जाने पर
(ख) क्रम-संख्या-13 के पश्चात्र निम्नलिखित क्रम-संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
"14-जननायक चन्द्रशेखर जिला बलिया।
विश्वविद्यालय, बलिया"
6-राज्य सरकार, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना से सम्बन्धित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

जिला बतिया उत्तर प्रदेश का सुदूरूर्व स्थित जिला है। उत्तर प्रेशे के अन्य राज्य विश्ववियातय-दीन ब उपाध्याय गोरखपुर विश्वविदातय, गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचत विश्वविदातय, जीनपुर और महाम्मा फाशी विद्यापीट, वाराणसी, जिला बलिया से दूर स्थित हैं। जिला बलिया शैक्षणिक रूप से एक पिष्ड़ा हुआ प्ता है। जिला बलिया के समीपवर्ती क्षेत्र के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कटिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला बलिया भारत के पूर्व. प्रधाममंत्री श्री चन्द्रशेखर का जन्म स्थान है। भारत के पूर्व प्रथानमंत्री पौन्श्रेखर की स्लृति में जिला बलिया में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के नाम से एक राज्य अविधितलय की स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविदालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने का राथय किया गया है।

तदनुमार उत्तर प्रेेश राज्य विश्वविद्यातय (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरस्स्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, रंगनाथ पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

No. 1408(2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-30-2016
Dated Lucknow, September 16, 2016
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is Wised to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya linshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh


THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2016
(U.P. Act no. 19 of 2016)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
An
ACT
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
It is hereby enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as hlows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, Short title 2016.
2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter ieferred to as the principal Act, in sub-section (1-A), after clause (g), the following clause Whall be inserted, namely :-
'(h) a University to be known as Jananayak Chandrashekhar University, Ballia;"
3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-D), the following subwection shall be inserted, namely :-

Amendment of section 4 of President Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974
Amendment of section 50
"(1-E) Until the First Statutes of the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia are made under this section, the Statutes of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of section 52

Amendment of Schedule

Removal of difficulties
4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-C) the following sub sections shall be inserted, namely :-
"(2-D) Until the First Ordinances of Jananayak Chandrashekhai University, Ballia are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to 1 subject to such adaptations and modifications as the State Government may by notification provide."
5. In the Schedule to the principal Act,-
(a) for the entries appearing at serial no. 10 the following entries shall be substituted, namely :-
" 10. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi-
(i) Until the establishment of the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia
(ii) Upon the establishment of the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia.

Districts of Ballia, Chandaull Mirzapur, Sant Ravidas Nagat Sonbhadra and Varanasi

Districts of Chandauli, Mirzapur Sant Ravidas Nagar, Sonbhadt and Varanasi
(b) After the serial no. 13, the following serial shall be inserted, namely:-
" 14. Jananayak
Ballia District
Chandrashekhar University, Ballia"
6. The State Government may, for the purpose of removing any difficulty il relation to the establishment of the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia by order published in the Gazette, direct that the provisions of the principal Act shal during such period, as may be specified in the order, have effect subject to sucl adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to br necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date o commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2016.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The District Ballia is the far east district of Uttar Pradesh. The other State Universities of Ui Pradesh Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, Veer Bahadur Singh Poorvanel University, Jaunpur and Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi are situated far from District Ball District Ballia is an educationally backward district. The students of adjoining area of District Ballia facing difficulties in getting higher education. Besides District Ballia is the birth place Shri Chandrashekhar, the former Prime Minister of India. It has been decided to amend the Su Universities Act, 1973 to establish in commemoration of Shri Chandrashekhar, the former Prime Minis of India, a State University by the name of Jananayak Chandrashekhar, University, Ballia in District Ball

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

## By order, <br> RANG NATH PANDEY, <br> Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए0पी० 398 राजपत्र (हि०)-2016-(953)-599 प्रतियाँ (डी०टी0पी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 92 सा० विधायी-19-9-2016-(954)-300 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/आफसेट)।

# सरकारी गजट, उत्तर पदेश 

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लख्रनऊ, सोमवार, 24 अक्टूबर, 2016
कार्तिक 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन<br>विधायी अनुभाग-1<br>संख्या 1520/79-वि-1-16-1(क) $30 / 16$<br>लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2016<br>अधिसूचना<br>शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग-1 की दिनांक 16 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या-1408/79-वि-1-16-1 (क) 2016 तथा अधिसूचना संख्या-1408(2)/LXXIX-V-1-16-1(Ka)30-2016 द्वारा उसी दिनांक के उत्तर असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1, खण्ड (क) में क्रमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित उत्तर राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2016) के हिन्दी की अधिसूचना की द्वितीय पंक्ति में शब्द एवं अंक "संशोधन विधेयक, 2016", के स्थान पर शब्द एवं अंक ोधन विधेयक, 2016 पर," पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रभुख सचिव।

## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

| विधायी परिशिष्ट |
| :---: |
| भाग-1, खण्ड (क) |
| (उत्तर प्रदेश अधिनियम) |
| लखनऊ, सोमवार, 1 जनवरी, 2018 |
| पौष 11, 1939 शक सम्वत् |

## उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2721/79-वि-1-17-1(क) 33-2017
लखनऊ, 1 जनवरी, 2018

## अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017
[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2018]
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 10 सन् 1973 का साधारण संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में शब्द "डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" जहाँ कहीं अनुसूची सहित आये हों. के स्थान पर शब्द "डॉ. भीमर आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" रख दिये जाएंगे।

उद्देश्य और कारण
डा. भीमराव आंबेडकर के नाम का हस्ताक्षर, भारत का संविधान के पृष्ठ संख्या - 254 पर हिन्दी में उल्लिखित है। आगरा विश्वविद्यालय, आगरा का नाम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में डा० भीम राव अम्बेडकर के नाम से उल्लिखित है। यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन करके डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा रखा जाये।

तद्नुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पुर:स्थापित किया जाता है।
आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

## No. 2721(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 33-2017 <br> Dated Lucknow, January 1, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 2017 :-
THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2017
[U.P. ACT NO. 1 OF 2018]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)
AN
ACT
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :-
Shod title 1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2017.

General
Amendment of U.P. Act no. 10 of 1973
2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 for the words 'Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra' wherever occurring including the Schedule the words 'Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra' shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The name of Dr. Bhimrao Ambedkar is mentioned at the page no. 254 of the Constitution of India in the form of his signature in Hindi. Agra University, Agra has been named in the name of Doctor Bhimrao Ambedkar in Uttar Pradesh Universities Act, 1973. It has been decided to amend the name of the University as Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

> By order,
> VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
> Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 760 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(2439)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 151 सा० विधायी-2018-(2440)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी०/आफसेट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश 

## उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1
$\qquad$
संख्या 1446/79-वि-1-19-1(क)-3-19
लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

$$
\frac{\text { अधिसूचना }}{\text { विविध }}
$$

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सनू 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्याल़य (संशोधन) अधिनियम, 2019
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2019)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

## अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।
(2) यह दिनांक 7 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगां।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

धारा 50 का संशोधन

धारा 52 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, -
(क) खण्ड (ख) में, शब्द "फैजाबाद"' जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द "अयोध्या" रख दिया जायेगा;
(ख) खण्ड (छ) में शब्द 'इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के स्थान पर शब्द "प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज"' रख दिये जायेंगे;
(ग) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
"(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के रूप में जाना जायेगा;"
"(ञ) एक विश्वविद्यालय, जिसे आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"
' (1-छ) जब तक कि इस धारा के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"

4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(2-ङ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के प्रथम अध्यादेश, न बऩा लिये जायें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"
"(2-च) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, -
(क) क्रम संख्या-2 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
" 2 -चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
(एक) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय. सहारनपुर की स्थापना होने तक
(दो) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना हो जाने पर

बागपत, बललंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले
बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धंनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जिले
(ख) क्रम संख्या 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दीं जायेंगी, अर्थात :-

| 1 | 2 |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 6. डॉ0 राम मनोहर लोहोया अवध | अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच. <br> विश्वविद्यालय, अयोध्या | बाराबंकी. गोण्डा और सुल्तानपुर <br> जिले |

(ग) क्रम संख्या-9 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
"9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर्र
(एक) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मंऊ आजमगढ़ की स्थापना होने जिले तक
(दो) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, गाजीपुर और जौनपुर जिले आजमगढ़ की स्थापना हो जाने पर
(घ) क्रम संख्या 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

| 1 | 2 |
| :--- | :--- |
| 12. प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) |  |
| विश्वविद्यालय, प्रयागराज |  | | फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और |
| :--- |
| प्रयागराज जिले |

(ङ) क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी. अर्थात् :-
"15. सहारननपुर राज्य ववश्वावद्यालय, मुजफफरनगर, सहारनपुर और सहारनपुर' शामली जिले
"16. आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ और मऊ जिले आजमगढ़"

कठिनाइयों को दूर किया जाना

निरसन और व्यावृत्ति

6-(1) राज्य सरकार, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा;
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

7-(1) उंत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2019
(2) ऐसे निरसन के होत हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही. इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का उत्तरतम जिला है और मण्डलीय मुख्यालय भी है। इसी प्रकार आजमगढ़ मध्य में अवस्थित है और यह भी मण्डलीय मुख्यालय है। चूंकि उक्त क्षेत्रों में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था जिसके कारण वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था अतः छात्रों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर, सहारनपुर और आजमगढ़ के प्रत्येक जिला में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया था।

फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम क्रमशः अयोध्या और प्रयागराज के रूप में परिवर्तित किये जाने के संदर्भ में, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नामों को तद्नुसार पुनर्नामित किया जाना था।

प्रो० राजेन्द्र सिंह के उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के रूप में पुनर्नामित किया गया था।

अतएव सहारनपुर और आजमगढ़ के प्रत्येक जिला में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने और यथा पूर्वोक्त विश्वविद्यालयों के नामों में परिवर्तन किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

यूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यदेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने कें लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2019
(U.P. Act No. 6 of 2019)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT.
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
It Is Hereby enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1).This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities. (Amendment) Act, 2019.

Short title and zommencement

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974 words "Prof
substituted.
(c) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely :-
"(i) a University to be known as Saharanpur State University, Saharanpur;"
"(j) a University to be known as Azamgarh State University, Azamgarh;"
3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-E), the following subsections shall be inserted, namely :-
"(1-F) Until the First Statutes of the Saharanpur State University, Saharanpur are made under this section, the Statutes of the University of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
"(1-G) Until the First Statutes of the Azamgarh State University, Azamgarh are made under this section, the Statutes of the University of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-D) the following subsections shall be inserted, namely :-
"(2-E) Until the First Ordinances of the Saharanpur State University, Saharanpur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide."

Amendment of sertivin 50

Amendment of section 52
"(2-F) Until the First Ordinances of the Azamgarh State University, Azamgarh are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Vir Bahadur Singh Purvanchal Úniversity, Jaunpur as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide."
5. In the Schedule to the principal Act, -
(a) for the entries appearing at Serial no.2, the following entries shall be substituted, namely :-
"2. Chaudhary Charan Singh University, Meerut -
(i) Until the establishment of Districts of Bhaghpat, Bulandshahr, Gautam the Saharanpur State Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Meerut, University, Saharanpur Muzaffar Nagar, Saharanpur and Shamli.
(ii) Upon the establishment of the Saharanpur State University, Saharanpur Meerut.
(b) for the entries at serial no.6, the following entries shall column-wise be substituted, namely :-

| 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6. | Doctor Ram Manohar | Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, |  |  |  |  |  |  |
|  | Lohia Avadh University, | Bahraich, Bara Banki, Gonda and |  |  |  |  |  |  |
|  | Ayodhya | Sultanpur. |  |  |  |  |  |  |

(c) for the entries appearing at Serial no.9 the following entries shall be substituted, namely:-
"9. Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur
(i) Until the establishment of the Districts of Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur Azamgarh State University, and Mau. Azamgarh
(ii) Upon the establishment of

Districts of Ghazipur and Jaunpur. the Azamgarh State
University, Azamgarh -
(d) for the entries at serial no.12, the following entries shall column-wise be substituted, namely :-

| 1 | 2 | 3 |
| :---: | :--- | :--- |
| 12. | Professor Rajendra Singh <br> (Rajju Bhaiya) | Districts of Fatehpur, <br> University, Prayagraj |

(e) after serial no. 14, the following serials shall be inserted, namely :-
"15. Saharanpur State University; District of Muzaffar Nagar, Saharanpur" Saharanpur and Shamli.
"16. Azamgarh State University, Districts of Azamgarh and Mau. Azamgarh"
6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of the Saharanpur State University, Saharanpur, and Azamgarh State University, Azamgarh by order published in the Gazette, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2019.
(2) The order issued under sub-section (1) shall be laid before each house of the State Legislature.
7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2019 is U.P. Ordinance hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in subsection (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Saharanpur is the northernmost district of Uttar Pradesh and is also a divisional headquarter. Similarly, Azamgarh is centrally located and it is also a divisional headquarter. Since, there was no State University in the said areas due to which the students thereof were facing difficulties in seeking higher education. On the demand of the students and the public representatives, it had become necessary to establish a State University in the each of districts of Saharanpur and Azamgarh.

With reference to change of names of Faizabad and Allahabad as Ayodhya and Prayagraj respectively, the names of the Doctor Ram Manohar Lohiya Awadh University, Faizabad and Allahabad State University, Allahabad had to be renamed accordingly.

In respect of excellent contribution of Professor Rajendra Singh the State University Allahabad had been renamed as 'Professor Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University; Prayagraj'.

It was therefore been decided to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to establish a State University in each district of Saharanpur and-Azamgarh and changing the names of the Universities as aforesaid.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no. 1 of 2019) was promulgated by the Governor on March 07, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 185 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(553)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 62 सा० विधायी-2019-(554)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित 

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019
श्रावण 15, 1941 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1
संख्या 1447/79-वि-1-19-1(क)-6-19
लखनऊ, 6 अगस्त, 2019

$$
\frac{\text { अधिसूचना }}{\text { वूविघ }}
$$

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग- 1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सनू 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2019)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. 1973 कां अग्रतर संशोधन करने
के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) यह 03 जून, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29
सन् 1974
द्वारा
यथासंशोधित और पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन 1973 की अनुसूची का संशोधन

निरसन और अपवाद
 कहा गया है. कीजी अनुस्सूसी में-
(क) क्रम्म संख्या 3 फार जपसांजानां होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविबिक्टियों सखा दी जीायंगी, अर्थात् :-
 कान्नभुरा कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव जिले।"
(ख) क्रुगा संस्य्या 6 पार उपसंज्ञाता होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिकिएियां सख्ं दी जनायोंमी, अर्थात् :-
"6--ङॅकटस समम मननौहर लोहिया अवध अम्बेडकर" नगर, अमेठी, अयोध्या, निस्ट्वालिख्यमाल्लया, अयोंक्या: - बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले।"

3-(2) ऊत्तरस प्रद्दैस्सा साजर्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्वारा निरसित किया जाताता है॥

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2019
(2) ऐस्सी निरसमना कौ होंते हुए भी उपधांरा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अनिमिसियम के उपबन्बों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारासा यश्या संझौौ:धित मूला अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीनं कृत या की गयी समद्धीी जायेयीयी मानों इस अधिनियम के उपबंध, समी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।.

## उद्देद्शेय और कारण

 तहसीलों को संविलीन कहसते हुयो अस्तित्ल़्वा मंं आया। यद्यपि अमेठी जिला में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. बलात के अधीन्न. स्थायित दो राज्य विश्वविद्यालयों अर्थात डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालया. असओध्या। औरस छ्रत्रपत्ति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के आंशिक क्षेत्र सम्मिलित हैं; अमेठी जिल्ला कोत्रो ऊत्तार प्रद्देशा साज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सना खणाअ)) द्वासा छत्र्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन समिम्मिलित्रा किर्या गया था। अमेठी जिला को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की क्षेन्रीष्या अधिकास्त्तिा में सम्भिलित किये जाने के परिणाम स्वरूप यह अनुभव किया गया कि अमेठी से कानामुरू सी दूरी, अमेढी से अयोध्या की दूरी से अपेक्षाकृत अधिक है। अमेठी जिला के छात्रों तथा महाकिस्यमालासयों द्वारासा अबायी जाए रही कठिनाईयों को रेखांकित करते हुये अमेठी जिला को डॉ० राम मनोहर लोहियाा अवस्म विक्ष्वाविद्याललय़. अयोध्या की क्षेत्रीय अधिकारिता में पुनर्अवंटित किये जाने की मांग, जनप्रतिनिधियों और अमेंखी जिला के महाविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष निरन्तर की जाती रही है। यथा पूर्दोक्त्ता मांमा फस सम्थक्य विचारोपरान्त जिला अमेठी को, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोज्मा की कोतीस्या अधिकारितां के अधीन रखे जाने हेतु उत्तर प्रदेश़ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संसओओंस्यन किर्ये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को क्रियान्चित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 03 जून, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0 पी० सिंह-II, प्रमुख सचिव।

## No. 1447(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)6-19 <br> Dated Lucknow, August 6, 2019

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Ṣankhya 11 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2019

[U.P. Act No. 11 of 2019]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)
AN
ACT
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2019.

Short title and commencement
(2) It shall be deemed to have come into force ōn June 03, 2019.
2. In the Schedule to the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act , -
(a) for the entries appearing at serial no. 3, the following entries shall be substituted, namely :-

$$
\begin{array}{ll}
\text { "3. Chhatrapati Shahu Ji Maharaj } & \text { Districts of Auraiya, Etawah, } \\
\text { University, Kanpur } & \text { Farrukhabad, Hardoi, Kannauj, } \\
& \text { Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, } \\
& \text { Lakhimpur Kheri, Sitapur, } \\
& \text { Rae Bareli and Unnao." }
\end{array}
$$

(b) for the entries appearing at serial no. 6, the following entries shall be substituted, namely :-
"6. Doctor Ram Manohar Lohia Districts of Ambedkar Nagar,
Avadh University, Ayodhya Amethi, Ayodhya, Bahraich, Barabanki, Gonda and Sultanpur."

Repeal and saving
3. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.
U.P. Ordinance no. 3 of 2019
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amethi district of Uttar Pradesh came into existence by merging three tehsils of Sultanpur district and two tehsils of Raebareli district. Though the District Amethi consisting of partial areas of two State Universities namely Doctor Ram Manohar Lohia Avadh. University, Ayodhya and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, Amethi district was included under the territorial jurisdiction of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur vide the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act No. 10 of 2013). Subsequent to inclusion of the Amethi district under territorial jurisdiction of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, it was felt that the distance of Kanpur from Amethi is much more than that of Ayodhya from Amethi. Highlighting the difficulties faced by the students and colleges of Amethi district, a demand to reallocate the Amethi district into the territorial jurisdiction of Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya was made by the public representatives and the colleges of Amethi district before the State Government continuously. After due consideration of the demand as aforesaid, it was decided to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to place the Amethi district under the territorial jurisdiction of Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya.

Since the State Lègislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no. 3 of 2019) was promulgated by the Governor on June 03, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

> By order,
> J.P. SINGH-II,
> Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 190 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(563)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी/आफसेट)।
पी०एस०य०पी०-ए०पी० 67 सा० विधायी-2019-(564)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 67 सा० विधायी-2019-(564)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी/आफसेट)।

## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019
पौष 6. 1941 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्यां 2242/79-वि-1-19-1(क) 17-19
लखनऊ. 27 दिसम्बर, 2019

$$
\frac{\text { अधिसूचना }}{\text { वूविध }}
$$

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2019)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

## अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वक्विद्यम्लग्र्य (तृतीय संशोधन) अधिनियम,

संक्षेप्त नाम और प्रारम्म 2019 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सनु 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन संशोधन

धारा 52 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया .है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
"(ट) एक विश्वविद्यालय, जिसे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
"(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के टीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।"

4 -मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-च) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
"(2-8) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायं, तब तक डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यदेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।"

5 -मूल अधिनियम की अनुसूची में,-
(क) कम संख्या-5 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :" 5 -डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(एक) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना होने तक
(दो) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना हो जाने पर
(ख) क्रम संख्या 16 के पश्वात् निम्नलिखित क्रम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :" 17 -राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिले विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

6-(1) राज्य सरकार, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना से सम्बन्धित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अंधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें; प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगां।
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

7-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

कटिनाइयों को दूर किया जाना

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सनू 2019
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देशेय और कारण

उच्च शिक्षा के सम्बन्च में जिला अलीगढ़, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन है, जिसमें अलीगढ़ मण्डल के चार जिलों सहित उत्तर प्रदेश के 08 जिले सम्मिलित हैं। चूंकि अलीगढ़ मण्डल में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं है इसलिए डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की विशाल क्षेत्रीय अधिकारिता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव सम्बद्ध महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयोजन के लिये और अलीगढ़ मंडल के युवा वर्ग को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उक्त मण्डल के जनसामान्य में उच्च शिक्षा का वातावरण उत्पन्न करने तथा उसे प्रोत्साहित करने हेतु अलीगढ़ मण्डल में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ नामक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने के लिये ‘उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973' में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सनू 2019) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यदेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरसस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे० पी० सिंह-II, प्रमुख सचिव।

No. 2242(2)/LXXIX-V-I-19-1(ka)17-19
Dated Lucknow, December 27, 2019


#### Abstract

iN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.


## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) <br> ACT, 2019

(U. P. Act no. 20 of 2019)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
An
Act
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

Short-title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 2019.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from November 22, 2019.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

Amendment of section 50

Amendment of section 52

Amendment of Schedule
2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A), after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :-
"(K) a University to be known a Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh;"'
3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-G), the following sub-section shall be inserted, namely :-
'( $1-\mathrm{H}$ ) Until the First Statutes of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh are made under this section, the Statutes of the University of Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-F); the following sub-section shall be inserted, namely :-
"(2-G) Until the First Ordinances of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
5. In the Schedule to the principal Act,-
(a) for the entries appearing at serial no. 5 , the following entries shall substituted, namely :-
's. Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra-
(i) Until the establishment of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh

Districts of Agra, Aligarh, Etah, Firozabad, Hathras, Kasganj, Mainpuri and Mathura
(ii) Upon the establishment of Raja Mahendra Pratap Singh State

Districts of Agra, Firozabad, Mainpuri and Mathura University, Aligarh
(b) afier the serial no. 16, the following serial shall be inserted, namely:-
"17. Raja Mahendra Pratap Singh Aligarh, Etah, Hathras, Kasganj State University, Aligarh Districts

Removal of difficulties

Repeal and saving
6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh by order published in the Gazette, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 2019.
(2) The order issued under sub-section (1) shall be laid before each house of the State Legislature.
7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment)
U.P. Ordinance no. 6 of 2019 Ordinance, 2019 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In relation to higher education the District of Aligarh is under the territorial jurisdiction of Doctor Bhim Rao Ambedker University, Agra consisting of 8 districts of Uttar Pradesh including four districts of Aligarh Division. Since there is no State University in Aligarh Division, the quality of higher education was adversely affecting due to vast territorial jurisdiction of Doctor Bhim Rao Ambedker University, Agra. Therefore for the purpose of effective control over affiliated colleges and to provide higher education to the youth of Aligarh Division and to promote and create the environment of higher education in the public of the said division it was decided to amend the State Universities Act, 1973 to establish and incorporate a State University in Aligarh Division by the name of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no. 6 of 2019) was promulgated by the Governor on November 22, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 491 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(1243)-599 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 106 सा० विधायी-2019-(1244)-300 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।


[^0]:    पार्श1 <U कग संशोधन

    धारा 31 का संशोधन

